"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–6/2021/एक/6.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड–19 (करोनो) महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा/अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ''छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना–2021'' लागू किया जाता है।

1. योजना का नाम –

इस योजना का नाम ''छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना–2021'' है।

2. उद्देश्य –

कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा/अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

3. विस्तार –

इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य में होगा। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4. पात्रता की शर्तें –

i. छत्तीसगढ़ का निवासी हो।

ii. ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड–19 से हुई हो।

iii. ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी पात्रता रखता हो।

iv. जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण–पोषण की समस्या हो गई हो।

5. शैक्षणिक सुविधा –

i. ऐसे पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जावेगी।

ii. ऐसे पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित ''स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम'' स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी।

iii. जिनके माता पिता दोनों की करोना से मृत्यु हो गयी है, उनके शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय शासन वहन करेगा। साथ ही छात्रवृति दी जावेगी।

iv. जिनके कमाने वाला माता अथवा पिता की मृत्यु हो गयी है उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जावेगा।

v. पात्र छात्रों को स्कूल शिक्षा के पश्चात् उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन दिया जावेगा।

vi. प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जावेगा।

6. छात्रवृत्ति –

ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेशित छात्रों को जिनका छात्रवृत्ति देय होगा :–

i. कक्षा 1 से 8 तक – रूपये 500/– प्रतिमाह

ii. कक्षा 9 से 12 तक – रूपये 1000/– प्रतिमाह

7. योजना का क्रियान्वयन –

इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा –

i. किसी भी स्त्रोत से कलेक्टर को जानकारी प्राप्त होने पर, कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

ii. छात्र स्वयं या अभिभावक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकेगा।

iii. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग का एक–एक अधिकारी नामांकित होंगे।

iv. समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जावेगी।

v. अभिलेखों के रख–रखाव हेतु पंजी का संधारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

vi. योजना की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर की जावेगी।

vii. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी कर सकेगी।

8. वित्तीय प्रबंधन –

सामान्य प्रशासन विभाग प्रति वर्ष छात्रों के मान से स्कूल शिक्षा विभाग को वांछित राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

9. शिथिलिकरण –

सामान्य प्रशासन विभाग आवश्यकतानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु शर्तों में शिथिल कर सकेगा।

10. विवाद की स्थिति में –

इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोक्तिमा यादव, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जून 2021 — आषाढ़ 7, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जून 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–6/2021/एक/6.— राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2021 ''छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना–2021'' की कंडिका 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त योजना की कंडिका 5 की उप कंडिका (vi) के पश्चात् निम्न कंडिका जोड़ा जाता है :–

vii. योजनांतर्गत राज्य में संचालित शासकीय स्कूल अथवा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में अध्ययनरत हो, उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

viii. योजनांतर्गत शासकीय स्कूलों के अतिरिक्त निजी स्कूलों में पिछले एक साल से पढ़ रहे ऐसे बच्चे उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ सकेंगे, राज्य सरकार द्वारा उनकी स्कूल फीस का वहन किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोक्तिमा यादव, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 सितम्बर 2021 — भाद्रपद 30, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–6/2021/एक/6.— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2021 द्वारा "छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना–2021" लागू की गई है तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2021 द्वारा उक्त योजना की कंडिका 5 की उप कंडिका कंडिका (vi) के पश्चात् (vii) एवं (viii) जोड़ी गई है।

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना–2021" की कंडिका 5 की उप कंडिका (viii) के पश्चात् निम्न कंडिका जोड़ा जाता है :–

ix. नवप्रवेशित विद्यार्थियों के निजी विद्यालयों में शासन द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय नवोदय या एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक व्यय के समतुल्य अथवा उक्त निजी विद्यालय की वास्तविक व्यय जो भी कम हो, होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोक्तिमा यादव, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
-:: इन्द्रावती भवन ::-
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/टी/2022–23/11498 नवा रायपुर ,दिनांक 25/01/2023

प्रति,

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
ब्लॉक –"C" इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर छ.ग.

विषयः– छ.ग.महतारी दुलार योजना–2021 के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क./छात्रवृत्ति/57/छ.ग.मह.दु.यो./2022–23/393 दिनांक 23.01.2023

––00––

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय नवोदय या एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक व्यय के समतुल्य अथवा उक्त निजी विद्यालय की वास्तविक व्यय जो भी कम होगी के संवंध में जानकारी चाही गई है।

उक्त संवंध में लेख है कि विभाग द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रलाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा शत–प्रतिशत प्राप्त सहायता राशि से संचालित है तथा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष सम्पूर्ण व्यय रू. 1,09,000/– के मान से प्राप्त होता है। भारत सरकार से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

छात्रवृत्ति
31.01.23

(प्रज्ञान सेठ)
उप–आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
(जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत
एक स्वायत्त संस्थान, भारत सरकार)
भू-तल, गेट नंबर-3ए, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूर. 011-23340280

National Education Society for Tribal Students
(An Autonomous Organization under
Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India)
Ground Floor, Gate No.3 A, Jeevan Tara Building,
Parliament Street, New Delhi 110001
Telephone No. 011-23340280
वेबसाइट/Website www.tribal.nic.in
Email nests-tribal@tribal.gov.in

355

File No:NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22 Date: 31.08.2022

To

The Commissioner/Member Secretary/Director
All States/UTs EMRS Societies

Subject: Revised cost breakup for Recurring cost for EMRS Schools-reg.

Sir,

With reference to the subject cited above, it is stated that the breakup of recurring cost for EMRS has been revised retrospectively from F.Y. 2022-23 (01.04.2022 onwards). The components of expenditure has been kept same whereas the amount under a particular component has been revised (copy of detailed breakup of recurring cost for EMRS is attached as Annexure).

In view of the above, all State/UTs EMRS Societies are requested to execute the following steps:

1. Societies will seek fund requirement from EMRS schools as per the heads/components in revised break-up of recurring cost. The fund demand received from schools should be examined, analysed by the societies before sending consolidated component/head wise fund requirement to NESTS.for FY 2022-23.
2. Society may release funds to schools as per the revised breakup for recurring cost after adjusting the component/head-wise balance lying with them.
3. Societies should ensure that expenditure is done by all schools under their jurisdiction as per the revised break-up of recurring cost.
4. Societies may timely submit the Budget Estimate, Utilization Certificate and Audit Report to NESTS for release of recurring grants/funds for EMRS.

For the sake of brevity percentage in column (5) and (7) Annexure has been amended to 1.91%, therefore it is requested to ignore the earlier letter dated 30.08.2022.

Kindly take the above matter on priority basis and do the needful at the earliest.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully

Encl: As above

(Amit Sahu)
Deputy Commissioner (Finance)

Copy for Information:

1. PS to Commissioner, NESTS
2. Under Secretary, EMRS Division, M/o Tribal Affairs.
3. Guard File

Annexure

Break-up of recurring cost for EMRS (01.04.2022 onwards)

S. No.	Component	Maximum Permissible Annual Expenditure for EMRS F.Y. 2022-23 *(Rs. in lakhs)*	Remarks
1.	Staff Salary	280.00 (53.54%)	This includes the salary of staff (teaching/non-teaching)
2.	Direct Expenditure on Students (upto Rs. 29270.84 per student)	140.50 (26.86%)	Includes expenditure towards Mess Expenditure, Uniform, Text Books, Daily Use Items, Medical Expenses, CBSE Fees, School Bag etc.
3.	Operational Expenditure	54.00 (10.33%)	Includes expenses towards: a) Water & Electricity b) Misc. (Postage, Telephone, P.O.L. Office Stationery, Repair of Furniture, Equipment etc.) c) Maintenance of Computer Labs d) Maintenance & Repair of Buildings e) Conduct of Admission Test f) Contingencies etc.
4.	Expenditure on Academic & Co-Curricular Activities	8.50 (1.63%)	Conduct of NCC/Scouts & Guides Activities, Professional Development of Teachers; Setting up of Tribal Culture Corner; Introduction of Vocational Courses; Other Activities (Pace setting activity, art & culture workshop, development of resource room, etc.) and Competitive Examination Coaching (online/offline) etc.
5.	Administrative expense of State Society (1.91%)	10.00 (1.91%)	1.91% of the total permissible recurring cost shall be kept towards administrative expense of the State Society.
6.	Funds for Capital Expenditure (Procurement of Computers, Smart Classes, Bedding Items, Major Repairs etc.)	20.00 (3.82%)	This amount shall be retained at the NESTS and may be made available to State EMRS Societies based on submission of detailed plan by the State Society. For certain common activities the work may be entrusted to Central Agencies.
7.	Centralized Activities (1.91%)	10.00 (1.91%)	This amount shall be retained at the NESTS for carrying out central activities including Sports/ Cultural Meet, Capacity Building Programmes etc.
	Total (Approx)*	**523.00 (100%)**	
	Maximum Per Student Cost per annum	**1.09**	

* State/UTs EMRS societies shall release grants/funds received from NESTS (head-wise) proportionately.